

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 द्वारा प्रमाणित संस्था)

द्वारा

संजयनगर योजना स्थित शिल्प उद्यान

में

किड्स जोन की स्थापना एवं संचालन की नियम
एवं शर्तों की विवरणिका।



एक सुन्दर शहर.....हमारा संकल्प

मूल्य— 1180.00 जी०एस०टी० सहित



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) का आवेदन एवं नियम व शर्त :-

कार्य का नाम— संजयनगर योजना सैक्टर-23 स्थित शिल्प उद्यान में किड्स जोन की स्थापना एवं संचालन का कार्य।

1. किड्स जोन संचालन की अवधि 10 वर्ष होगी।
2. प्रस्तावक को ` 25,000.00 (पच्चीस हजार) मात्र प्रति स्थल धरोहर राशि एफ0डी0आर0 के रूप में प्रस्ताव के साथ जमा करने होंगे।
3. प्रस्तावक को आयकर पैन नम्बर, निवास प्रमाण पत्र व फोटो पहचान पत्र की प्रति जमा करानी होगी।
4. यह कि इस अनुज्ञप्ति पर शिल्प उद्यान में किड्स जोन का वार्षिक अनुज्ञप्ति अंशदान प्रत्येक वर्ष अनुज्ञप्ति वर्ष आरम्भ होने से पूर्व जमा करना होगा। यह विलेख दिनांक से दिनांक तक दस वर्ष की अवधि हेतु अनुमन्य होगा, अनुज्ञप्ति विलेख शुल्क वर्ष आरम्भ होने से पूर्व अदा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर पैनल ब्याज देय होगा तथा नियमानुसार अनुज्ञप्ति विलेख पर पुनर्विचार किया जायेगा।
5. यह कि अनुज्ञप्ति पर दी गयी सम्पत्ति (किड्स जोन संचालन) का कब्जा अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादन के बाद प्रदान किया जायेगा। अनुज्ञप्ति पर दी गयी सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा और अनुज्ञप्ति ग्रहिता को निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि स्थल पर कोई परिवर्तन किये जाने का प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लिया जाता है तो अनुज्ञप्ति ग्रहिता को उक्त निर्णय मान्य होगा।
6. यह कि अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनुमति से ही अनुज्ञप्ति विलेख का नवीनीकरण हो सकेगा। अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व ही लिखित अनुरोध पर उपाध्यक्ष द्वारा विचारोपरान्त अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के विषय में निर्णय लिया जायेगा। अनुज्ञप्ति नवीनीकरण की अनुमति न प्रदान किये जाने पर अनुज्ञप्ति ग्रहिता को स्थल का कब्जा प्राधिकरण को वापिस सौंपना होगा।
7. यह कि अनुज्ञप्ति पर दी गयी सम्पत्ति व उसके आस-पास की सफाई का पूर्ण दायित्व अनुज्ञप्ति ग्रहिता का होगा और अनुज्ञप्ति ग्रहिता अपने खर्चे पर आवश्यक व्यवस्था स्वयं करेगा।
8. यह कि अनुज्ञप्ति पर दिये गये स्थल को अतिक्रमण मुक्त रखने की समस्त जिम्मेदारी अनुज्ञप्ति ग्रहिता की होगी व अनुज्ञप्ति पर दी गयी सम्पत्ति के आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा और स्थल पर ऐसी गतिविधि संचालित नहीं करेगा जिससे अनुज्ञप्ति ग्रहिता के स्वामी होना प्रदर्शित होता हो।
9. यह कि अनुज्ञप्तिकर्ता को अनुज्ञप्ति पर दी गयी सम्पत्ति के निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा अनुज्ञप्तिकर्ता द्वारा दिये गये सुझाव अनुज्ञप्ति ग्रहिता को मान्य होंगे।
10. यह कि अनुज्ञप्ति पर दी गयी सम्पत्ति एवं उसके अनुरक्षण पर उत्तर प्रदेश सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क, कर या अन्य देयता के अदा करने का दायित्व अनुज्ञप्ति ग्रहिता का होगा, अनुज्ञप्तिकर्ता उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11. शिल्प उद्यान परिसर में हथियार सहित प्रवेश वर्जित है।
12. प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त उच्चतम प्रस्ताव के आधार पर तय धनराशि वार्षिक किस्तों में अग्रिम रूप में जमा करानी होगी।
13. उच्चतम प्रस्तावक को 25 प्रतिशत धनराशि तत्समय जमा करनी होगी। प्रथम उच्चतम प्रस्तावक द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने पर उसकी जमानत की धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक की

बोली की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के लिए निर्देशित किया जायेगा, यदि द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक द्वारा भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसकी भी जमानत जब्त करते हुए किड्स जोन संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी का चयन किया जायेगा।

14. आयकर प्राविधानों के अनुसार किड्स जोन संचालन हेतु प्राप्त उच्चतम प्रस्ताव की धनराशि पर निर्धारित टी0डी0एस0 के रूप में अतिरिक्त जमा करनी होगी। टी0डी0एस0 की देय धनराशि किड्स जोन संचालन स्वीकृति के पश्चात प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।
15. विशेष परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा।
16. अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।
18. यदि किड्स जोन संचालन समाप्त की जाती है तो संचालनकर्ता को शेष अवधि के लिए अनुपातिक धनराशि वापस कर दी जायेगी।
19. प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संचालनकर्ता को अपने खर्च पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपरो पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।
20. एजेन्सी अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी को हस्तान्तरित नहीं करेगी, ऐसा करने की दशा में अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
21. संचालनकर्ता अथवा उसके कर्मचारीगण किसी भी भ्रमणकारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।
22. संचालनकर्ता को नियत दरो को अंकित करते हुए कूपनों/टोकनों की व्यवस्था करनी होगी। तदानुसार ही संचालनकर्ता धनराशि वसूल कर सकेगा। यदि संचालनकर्ता द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया तो अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और कोई भी आनुपातिक धनराशि आदि वापस नहीं की जायेगी।
 1. वॉकर (मिक्की माउस) दरें ` 40.00 प्रति व्यक्ति प्रति 10 मिनट
 2. ट्रेन दरें ` 40.00 प्रति व्यक्ति प्रति 10 मिनट
 3. छोटा झूला दरें ` 40.00 प्रति व्यक्ति प्रति 10 मिनट
 4. बडा झूला दरें ` 50.00 प्रति व्यक्ति प्रति 10 मिनट
 5. बन्जी जम्पिंग दरें ` 100.00 प्रति व्यक्ति प्रति 10 मिनट
 6. अन्य झूले दरें ` 30.00 प्रति व्यक्ति प्रति 10 मिनट
23. स्थल पर विद्युत कनेक्शन तथा उस पर व्यय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण करेगा। संचालनकर्ता को प्रकाश व्यवस्था के अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता की दशा में उपयोग की गयी विद्युत की प्रतिपूर्ति के रूप में धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जमा करनी होगी। समय से भुगतान न करने पर अर्थदण्ड भी संचालनकर्ता को जमा करना होगा।
24. अनुज्ञप्ति ग्रहिता स्थल पर किसी प्रकार का खोखा/टेला अथवा हॉकर्स की स्थापना नहीं करेगा। विशेष परिस्थिति में नियम शर्तों के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जायेगी।
25. प्राधिकरण द्वारा निर्मित/स्थापित गेट/पोस्ट में यदि कोई टूट-फूट या कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी को करनी होगी।
26. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के विभागीय/स्टाफ के लिए किड्स जोन संचालन की व्यवस्था में 50 प्रतिशत की छूट रखनी होगी।
27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं स्थानीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन करना होगा।

28. निर्धारित दरो से अधिक शुल्क वसूले जाने की दशा में बिना किसी अन्य सूचना के अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया जायेगा।
29. अनुज्ञप्तिग्रहिता द्वारा आगामी प्रत्येक वर्ष वार्षिक शुल्क में 10 प्रतिशत/उपभोगता मूल्य सूचकांक (जो भी अधिक हो) के आधार पर वार्षिक वृद्धि के साथ जमा करना होगा।
30. दरो के सम्बन्ध में स्थल पर सूचना पट एक प्रवेश द्वार पर तथा एक निकास द्वार पर लगवाना होगा तथा मौके पर शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी व उसकी उपलब्धता की सूचना के सम्बन्ध में सूचना पट पर अंकित करना होगा।
31. किड्स जोन संचालन पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेमप्लेट सहित ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
32. स्थल पर उपलब्ध एवं विकसित सुविधाओं जैसे बैरियर, उद्घोषणा हेतु माईक, टिकट केबिन, सूचना पट आदि के रख-रखाव का दायित्व कार्यरत एजेन्सी का होगा एवं उसमें होने वाली किसी क्षति की पूर्ति एजेन्सी को स्वयं करनी होगी।
33. किड्स जोन संचालन व्यवस्था में लगाये गये सभी कर्मी 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम आयु के निरोगी/स्वस्थ हो तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Labour Act), ई0एस0आई0, पी0एफ0 आदि का उत्तरदायित्व संचालन कर्ता का होगा।
34. किड्स जोन संचालन व्यवस्था में लगाये गये कर्मी पूर्व में कभी भी किसी भी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने चाहिए, तथा संचालक एजेन्सी द्वारा कर्मियों के चरित्र प्रमाण पत्र का शपथ पत्र प्राधिकरण में जमा कराने होंगे।
35. अनुज्ञप्तिग्रहिता स्वयं अपने व्यय पर उपकरण की व्यवस्था करेगा।
36. किड्स जोन उपयोग करने वाले व्यक्तियों का नियमानुसार बीमा अनुज्ञप्तिग्रहिता को अपने व्यय पर कराना होगा, तथा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दायित्व संचालन एजेन्सी का होगा।
37. किड्स जोन संचालन का समय प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक रहेगा।
38. किड्स जोन संचालन एजेन्सी को शिल्प उद्यान के नियम एवं विनियमों के अनुरूप कार्य करना होगा।
39. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुये अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया जायेगा तथा किड्स जोन संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। ऐसी दशा में ठेकेदार को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नहीं होगा।

प्रभारी उद्यान जोन-3
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

उपरोक्त रख-रखाव कार्य हेतु मैने 1 से 39 तक सभी शर्तों को पढ़ लिया है और सुन एवं समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ अपना ऑफर `..... शब्दों में .
.....प्रति वर्ष की दर से प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा प्राधिकरण के नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर बिडदाता

नाम-

दूरभाष संख्या-